कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक 3138 /कोरोना सेल/2020 रायगढ़ दिनांक 10/अप्रैल/2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
रायगढ़,
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

विषय :– एससीजी न्यूज पर प्रसारित खबर बिक ब्रेकिंग रायगढ़ में भी मिला कोरोना संदिग्ध, पीड़ित को 14 दिनों तक होम आईसोलेशन में रहने दिया गया निर्देश ब्लड सेम्पल भेजा गया जांच में– रवि अग्रवाल, रायगढ़ के संबंध में।

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक एन.एच.एम./आई.डी.एस.पी. /2020/4911, रायगढ़ दिनांक– 02.04.2020 एवं नोडल अधिकारी, एमसीएमसी कमेटी,कार्यालय, जिला जनसम्पर्क, रायगढ़ के पत्र क्रमांक 02/एमसीएमसी/2020, दिनांक–04.04.2020

–0–

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

आपके द्वारा उक्त विषय के संबंध में खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लैलूंगा, जिला–रायगढ़ के द्वारा की गई छानबीन के आधार पर रगनु बानी (पुरूष) उम्र–27 वर्ष, वार्ड–12, शांतिनगर के निवासी है तथा उक्त पते पर निवासरत हैं एवं उनके द्वारा दिल्ली से यात्रा कर दिनांक 18.03.2020 को आगमन हुआ है। वर्तमान में उन्हें होम आईशोलेसन हेतु निर्देशित किया गया है। न ही उन्हें टी.वी. बीमारी है, न ही आज दिनांक तक श्वसन संबंधी परेशानी है और न ही उनका ब्लड सेम्पल संदिग्ध कोरोना मरीज समझ कर लिया गया है, प्रतिवेदित है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर जिले में गठित एमसीएमसी कमेटी द्वारा दिनांक 30.03.2020 को एससीजी न्यूज में प्रसारित हुई खबर को अपुष्ट सिद्ध किया गया है।

अतएव निर्देशानुसार समाचार गलत/अपुष्ट होने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कर, कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

अपर कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक 3138/कोरोना सेल/2020 रायगढ़ दिनांक 10/अप्रैल/2020

प्रतिलिपि :–

पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

अपर कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

Document/ Korona/JC-036